



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062026-273509
CG-DL-E-16062026-273509

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3038]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3038]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

सं. 56/2026-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3160(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 3 और धारा 5 की उप-धारा (1), (4) और (5) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2022-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे का.आ. सं. 1537 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में-

- i. क्रम सं. 18 के समक्ष, क्षेत्राधिकार से संबंधित कॉलम (3) में,
 - (क) मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
 - (ख) मद (iii) और (iv) को क्रमशः मद (ii) और (iii) के रूप में फिर से क्रमांकित किया जाएगा।
 - ii. क्रम संख्या 20 के समक्ष, क्षेत्राधिकार से संबंधित कॉलम (3) में, मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(i) छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल), ग्रेटर मुंबई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र और हवाई अड्डे, महाराष्ट्र राज्य में ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के अंतर्गत क्षेत्र और हवाई अड्डे।”
2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 450/48/2024-सीयूएस-IV]

अनुरिमा शर्मा, निदेशक (सीमा शुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 21/2022-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 मार्च, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ.सं. 1537 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2026-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 16 मार्च, 2026, जिसे का.आ. संख्या 1364 (अ), दिनांक 16 मार्च, 2026 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2026

No. 56/2026-Customs (N.T.)

S.O. 3160(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3 and sub-sections (1), (4) and (5) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2022-Customs (N.T.), dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1537(E), dated the 31st March, 2022, namely:—

In the said notification, in the **TABLE**, —

- (i) against S. No. 18, in column (3) relating to the Area of Jurisdiction, -
 - (a) item (ii) and the corresponding entries shall be omitted;
 - (b) items (iii) and (iv) shall be respectively renumbered as items (ii) and (iii);

- (ii) against S. No. 20, in column (3) relating to the Area of Jurisdiction, for item (i) and the entries relating thereto, the following item shall be substituted, namely: -

“(i) Chhatrapati Shivaji International Airport (International Terminal), area and airports under the jurisdiction of the Municipal Corporation of Greater Mumbai, area and airports under the districts of Thane, Palghar and Raigad in the State of Maharashtra.”

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/48/2024-Cus-IV]

ANURIMA SHARMA, Director (Customs)

Note: The principal notification No. 21/2022-Customs (N.T.), dated the 31st March, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1537(E), dated the 31st March, 2022 and was last amended by notification No.26/2026-Customs (N.T.), dated the 16th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.1364 (E), dated the 16th March,2026 .